UPRB040236152025

न्यायालय Addl Civil Judge(Jr Div) VIII, Rae Bareli

पीठासीन अधिकारी– (Sri. Manu Gupta), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP03561

वाद सं०- 2905/2025

अपराध सं०- 489/2020

धारा- 323, 504, 506 भा०द०सं०

थाना- डीह, जिला-रायबरेली।

RAVI KUMAR MAURYA Vs. State

दिनांक:- 03.10.2025

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रवि कुमार मौर्या व हरिश्चन्द्र की ओर से अपराध सं०- **489/2020**, धारा- **323, 504, 506 भा०द०सं०**, थाना डीह, जिला-रायबरेली के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण पूर्णतया निर्दोष है। उन्होंने कोई मार-पीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण अपनी जमानत देने को तैयार है। वे जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

सुना एवं अभियोजन अधिकारी की आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा स्वंय न्यायालय के समक्ष हाजिर आकर समर्पण किया गया है। प्रकरण में आरोप पत्र आ चुका है तथा कथित अपराध 7 वर्ष से अधिक दण्डनीय नहीं है।

ऐसे में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रवि कुमार मौर्या व हरिश्चन्द्र द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण (प्रत्येक) द्वारा मु० 20,000/- (बीस हजार) रुपये का निजी बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(मनु गुप्ता)
अष्टम अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम०,
रायबरेली।